

राजस्थान सरकार
प्रारम्भिक शिक्षा विभाग

क्रमांक: प. 5(3)प्रा.शिक्षा/2017

जयपुर, दिनांक: 16 AUG 2018

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा राज,
बीकानेर।


विषय:- तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा, 2017 के अन्तर्गत नियुक्त अध्यापकों का पुनः समान पद पर एवं तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा, 2013 के अन्तर्गत चयन/नियुक्ति होने पर वेतन नियमितिकरण/स्थाईकरण किये जाने के सम्बन्ध में।

प्रसंग : आपका पत्रांक शिविरा/प्रारं/शि.सं/नियमितिकरण-स्थायीकरण/2017 दिनांक 16.05.2017

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में निर्देशानुसार लेख है कि तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा, 2017 के अन्तर्गत नियुक्त अध्यापकों का पुनः समान पद पर एवं तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा, 2013 के अन्तर्गत चयन/नियुक्ति होने पर वेतन नियमितिकरण/स्थाईकरण किये जाने के सम्बन्ध में पंचायती राज विभाग द्वारा जारी क्रमांक एफ 915 (77)पराप्राशि/2015/पार्ट-1/574 दिनांक 09.08.2018 (प्रति संलग्न) के अनुसार कार्यवाही कराने का श्रम करावें।


संलग्न-उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(संजय कुमार)
शासन उप सचिव

कार्यालय निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक-शिविरा/प्रारं/शि0सं0/एफ-1/नियमितिकरण-स्थायीकरण/2017 दिनांक-21.08.18
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :

1. शासन उप सचिव प्रारंभिक शिक्षा शासन सचिवालय, जयपुर
2. समस्त उपनिदेशक प्रारंभिक शिक्षा को संलग्न परिपत्र अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करवाने हेतु ।
3. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा को संलग्न परिपत्र अनुसार पालना करने हेतु ।


21-08-18
उप निदेशक
प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर



राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायतीराज प्रारम्भिक शिक्षा)

क्रमांक एफ 915(77)पंराप्राशि/2015/पार्ट-1/574
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद समस्त।

जयपुर दिनांक - 09/08/2018

विषय:- तृतीय श्रेणी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती प्रतियोगी परीक्षा 2012 के अन्तर्गत कार्यरत अध्यापकों का अध्यापक भर्ती परीक्षा 2013 में चयन होने पर राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम 24,26 के अन्तर्गत वेतन निर्धारण बाबत।

संदर्भ:- विभागीय आदेश क्रमांक 978 दिनांक 02.09.2015 एवं विभागीय पत्रांक 1224 दिनांक 04.12.2017 के क्रम में स्पष्टीकरण।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि तृतीय श्रेणी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती परीक्षा 2012 में नियुक्त अध्यापक जिनके द्वारा तृतीय श्रेणी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक भर्ती परीक्षा 2013 के अन्तर्गत अपने गृह जिलो/समीपस्थ/अन्य जिलो में नियुक्त होने पर उनके द्वारा अपनी पूर्व की सेवाओं के परिलाभ यथा वेतन नियमितकरण/वेतन संरक्षण/वेतन वृद्धि की मांग के क्रम में विभागीय संदर्भित आदेशो के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय में याचिकाएँ दायर की गई। इस संदर्भ में एस0बी0सिविल रिट याचिका संख्या 13544/2017 वीरेन्द्र सिंह बनाम राज0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 15.01.2018 के ऑपरेटिव अंश निम्न प्रकार है:-

"In view of the specific provision i.e. second proviso to rule 24 RSR as well as the judgement of this court in the case of Praveen Kumar Yadav (supra) and Chandra kala Saini (supra), the stand taken by the respondents in order dated 2.9.2015(Annex.R/1) and 4.12.2017 (Annex.R/2), is without any basis. In view thereof, the writ petitions filed by the petitioners are allowed as the petitioners have already been relieved pursuant to the interim orders passed by this court, the said interim orders passed by this court directing to relieve the petitioners are made absolute.

In the further directed that the respondents while dealing with the case of the petitioners pertaining to their pay fixation etc. would follow the provisions of Rules 24 and 26 of the RSR as per law.

In case where the petitioners have been relieved provisionally under the direction of this court, the Authorities would pass appropriate orders pertaining to relieving of the petitioners allowing their last pay certificate (L.P.C.) where they were serving earlier."

उक्त निर्णय के क्रम में विभागीय स्थाई समिति की बैठक दिनांक 21.03.2018 में लिये गये निर्णय अनुसार राज0सेवा नियम 1951 के नियम 24 एवं 26 की व्याख्या वित्त विभाग द्वारा निम्न प्रकार की गई है:-

"राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम 24 के उपरोक्त प्रावधान के अनुसार पूर्व से राजकीय सेवा में (किसी भी राजकीय विभाग के अधीन) नियमित रूप से नियुक्त राज्य कर्मचारी की दिनांक 20.01.2006 या इसके पश्चात सीधी भर्ती से प्रोबेशनर ट्रेनी के रूप में नियुक्ति होने पर ऐसे कर्मचारी को प्रोबेशनर ट्रेनी-अवधि पद के लिए नियत पारिश्रमिक अथवा पूर्व पद के अपने स्वयं के वेतनमान में वेतन जो भी लाभप्रद हो, प्राप्त करने का विकल्प दिया गया है। प्रोबेशनर ट्रेनी अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम 26 के तहत वेतन निर्धारण किये जाने का प्रावधान है।

21

पंचायतीराज विभाग के अधीन सभी जिला परिषदों में तृतीय श्रेणी अध्यापक पद पर नियुक्ति राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के तहत की गई है। अतः एक जिला परिषद से दूसरी जिला परिषद में सीधी भर्ती से नियुक्ति पर पूर्व से नियमित रूप से नियुक्त कर्मचारी के लिए राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम 24 व 26 के प्रावधानों को प्रभावी माना जाना चाहिये।”


प्रकरण कार्मिक एवं वित्त विभाग की राय के पश्चात पुनःस्थाई समिति की बैठक दिनांक 31.07.2018 को विचारार्थ रखे जाने पर समिति सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से प्रकरण में अपील दायर नहीं करने का निर्णय लिया गया है।

अतः तृतीय श्रेणी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक भर्ती परीक्षा 2012 में नियुक्त अध्यापकों द्वारा तृतीय श्रेणी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक भर्ती परीक्षा 2013 में अन्यत्र जिले में चयनोपरान्त कार्यग्रहण करने वाले अध्यापकों के मामले में विभागीय पत्रांक 978 दिनांक 02.09.2015 एवं पत्रांक 1224 दिनांक 04.12.2017 को अतिक्रमित करते हुए निम्न निर्देश जारी किये जाते हैं:-

1. शिक्षक भर्ती 2012 के अन्तर्गत नियुक्त जिन अभ्यर्थियों की नियुक्ति शिक्षक भर्ती 2013 के अन्तर्गत हुई है, उन्हें पूर्व नियोक्ता द्वारा कार्यमुक्त किया जायेगा एवं नये नियोक्ता द्वारा कार्यग्रहण की अनुमति देय होगी। कार्यग्रहण में देरी मान 0 न्यायालय द्वारा तत्समय विद्यालयों के पुनः खुलने तक शिथिलनीय की गयी थी।
2. शिक्षक भर्ती 2012 में नियुक्त उपरान्त शिक्षक भर्ती 2013 में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों की वरिष्ठता भर्ती परीक्षा 2013 में उनके द्वारा प्राप्त मेरिट क्रमांक के अनुसार संगणित की जायेगी एवं अभ्यर्थियों की पूर्व सेवाएँ वरिष्ठता के लिहाज से संगणित नहीं की जायेगी।
3. शिक्षक भर्ती 2012 में नियुक्त उपरान्त शिक्षक भर्ती 2013 में चयनित होने वाले याचिकार्थी, जिन्हें माननीय न्यायालय के अन्तरिम आदेश के अधीन कार्यमुक्त किया गया है, उनके सम्बन्ध में पूर्व नियोक्ता द्वारा अन्तिम वेतन प्रमाण पत्र (L.P.C.) जारी किया जायेगा।
4. ऐसे कार्मिकों को प्रोबेशनरी ट्रेनी अवधि पद के लिए नियत पारिश्रमिक अथवा पूर्व पद के अपने स्वयं के वेतनमान में वेतन जो भी लाभप्रद हो, प्राप्त करने का विकल्प है। प्रोबेशनरी ट्रेनी अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम 26 के तहत वेतन निर्धारण किये जाने का प्रावधान है।


उक्तानुसार पालना सुनिश्चित की जावे।

यह निर्देश वित्त विभाग की आई.डी.संख्या 101803088 दिनांक 25.06.2018 द्वारा प्रदत्त सहमति के अनुसार जारी किये जाते हैं।


(**रंजीत सिंह मीणा**)
शासन सचिव एवं आयुक्त

प्रतिलिपि: सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, महोदय ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) पंचायतीराज विभाग।
3. निजी सचिव, अति 0 मुख्य सचिव वित्त विभाग राज 0।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव कार्मिक विभाग राज 0।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्राविपंराज विभाग, जयपुर।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, जयपुर।
7. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायतीराज विभाग, जयपुर।
8. अति 0 मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, समस्त।
9. रक्षित पत्रावली।


(**मोहम्मद अबूब्रक**)
उप शासन सचिव एवं
उपायुक्त (प्रशिक्षण)